13 Members -Two Officers Group 'A' of Controllerate of Inspection (Ammunition), Kirkec. -An Officer Group 'A' of Administration Directorate, Directorate General of Inspection, Headquarters.

[File No. A/86817/DGI/(Admn.-10B)/D (Inspection)]

K.G. GUPTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1986

का. नि. ग्रा. 330:---नियमों का प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार छावनी प्रधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 280 की उपधारा (2) के खंण्ड (ड) ढारा प्रदत्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए सूचनाओं के प्ररूपों और उन्हें तामील करने की रीति के संबंध में बनाना चाहती है, भारत के राजपत्र, माग 2 खण्ड 4 तारीख 26 जुलाई, 1986 में भारतें सरकार, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. नि. आ. 235 तारीख 23 जून, 1986 के साथ प्रकाशित किया गया था और उक्त प्रधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिन की अवधि की समाप्ति पर उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रधावित होने की संभावना थी, आक्षेप और सुझाव नांगे गए थे।

यत: पूर्वोक्त राजपत्न 6 अगस्त, 1986 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था।

यतः प्राप्त आक्षेप पर केन्द्र सरकार ने विचार कर लिया है।

अतः यथ केन्द्रीय सरकार, उक्त ब्रधिनियम की उपधारा (1) ढारा प्रदस्त व्यक्तियों का त्रयोग करते हुए सूचनाओं का प्रारूप और उन्हें तामील करने की रीति के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छावनी (सूचनाओं के प्ररूपों और उन्हें तामील करने की रीति) नियम 1986 है।

(2) ये राजपत में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 परिभाषाएं :

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

- (क) "अधिनियम" से छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) अभिप्रेत है ;
- (ख) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभि प्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और मदों के वहीं यथ हैं जो अधिनियम में हैं।

 सूचनाओं के प्रारूप अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति पर तामील किए जाने के लिए अपेक्षित सभी सूचनाएं, इन नियमों से संलग्न प्ररूपों में होंगे।

4. सूचनाओं को तामील करने की रीति :

Sinh,

किसी व्यक्ति को अधिनियम के प्रधीन जारी की गई प्रत्येक सूचना निम्न प्रकार से तामील की जाएगी या प्रस्तुत की जाएगी:---

 (क) सूचना ऐसे व्यक्ति को देकर या निविदत्त करके या डाक द्वारा भेजकर, (ख) यदि ऐसा व्यक्ति नहीं मिल सकता है तो उसके झन्तिम जात निवास या कारबार के स्थान के किसी सहजदृष्य भाग पर सूचना को चिपका कर, यदि ऐसा स्थान छावती के भीतर है तो, या सूचना को उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क पुरूष सदस्य या सेवक को देकर या निविदत्त करके या उस भवन या भूमि के, यदि कोई है, जिससे यह संबंधित है, किसी सहजदृष्य भाग पर चिपकवा कर।

5. धारा 252 से 256 क के उपबंधों का लागू होना प्रधिनियम की घारा 252 से 256-क तक के उपबंध इन नियमों के अधीन जारी की गई प्रत्येक सूचना को लागू होंगे।

[का. स. पी. सी. 12(6)/सी/भू. एवं छा. (82) 4208/डी (क्यू एंड सी)] करतार सिंह, अवर सचिव

प्ररूप सं. ।

छावनी घविनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 68 के बाधीन लोक सूचना

(सूचना के प्रकाशन की तारीख और सुनवाई की तारीख के बीच कम से कम तीस दिन का प्रन्तर होना चाहिये।)

यह सूचना, छावनी ग्रधिनियम, 1924 की घारा 255 की ग्रपेक्षा-नुसार निम्नलिखित प्रमुख स्थानों पर लगाई जा रहीं है।

	(Я	T	fe	1	F	13		8	st			वो	Γ.	सं	ŕ.		•			•	3		•		•			त	TŻ	ीर	T					÷
	1.																																			
	2				4			•												*																
	3								*										,																	
	4												*				•		•																	
	5			•					1		-					2		•			•	*		4									-			
	6					,		•		•							•						•													
जव	नी	-	व	1	-ho		a	T	T	ल	व	r																भ	fu	ाश	ासं	f	-	fa	क	री
ń:																										÷	÷			50	Ta	नी		वो	ż	

मुद्रा)

41.6

a	1		1		1	1	1		1		1	
तारीख	•	•	•	+		•	1	4				

490 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 8, 1986/KARTIKA 17, 1908

[PART II-SEC

प्ररूप स. 2

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 68 के अधीन व्यक्तिगत सूचना

प्रे घितो,

......

विषय : निर्घारण सूची का पुनरीक्षण ---रजि.

महोदय / महोदया,

पुनरोक्षित निर्धारण और मूल्यांकन पर निर्धारण समिति ढारा (तारीख) को विचार किया जाएगा।

2. यदि उपरोक्त निर्धारण के बारे में आपका कोई आक्षेप है तो आप तारीख से पूर्व यह कथन करते हुए कि निर्धारण के बारे में आपका विवाद क्या है, लिखित में आक्षेप करे

निर्धारण समिति, (तारीख) के पश्चात् ग्रापसे प्राप्त किसी ग्राक्षेप कर विचार नहीं करेगी।

भवदीय,

छावनी बोर्ड कार्यालय सं. तारीख, निर्धारण / मूल्याकन के ब्यीरे

छावनी अधिाशासी अधिकारी ''''' छावनी बोर्ड बोर्ड की मुद्रा

1. 2. 3.

प्ररूप सं. 3

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की घारा 71 की उपघारा (1क) के ब्राघीन सूचना

प्रेषित

महोदय / महादया,

main.

निर्धारण सूची को निम्नलिखित रोति में और नीचे विनिदिष्ट ब्राधारों पर संशोधित करना ब्रावश्यक हो गया है :---

- (क) नाम से ज्ञात संपरित के सम्बन्ध में श्री/श्रीमती/कुमारी को नाम जोड़कर / लोप करके, किसका नाम जोड़ा जाना / लोप किया जाना चाहिये था:
- (ख) परिवर्तन करके, जिसका निर्धारण/ मूल्यांकन बोर्ड/निर्धारण में समिति की भूल/सुदि के कारण गलंत हो गया था:

(ग) · · · · · · · · · · · के नाम से ज्ञात संपत्ति को जोड़कर लोग करके :

- (घ) पुनः मूल्याकन/पुर्निर्धारण करने पर नाम से ज्ञात संपत्ति का मूल्य अन्तिम निर्धारण के बाद क गया है:
- (इ.)के नाम से ज्ञात संपरित के संब में, 'ब्राधिभोगी का नाम बदलकर क्योंकि कर ब्राधिभोगी द्वार संदेय है,

भवदीय,

त्रविशासी अधिकारी छावनी बोर्ड बोर्ड की मुंद्रा

बोर्ड का कार्यालय सं..... तारीख

प्ररूप सं. 4

छावनी व्यधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 74 के प्रधीन सूचना

सेवा में.

छावनी अधिशासी अधिकारी,

.....छावनी वोर्ड,

महोदय/महोदया,

भवदीय,

हस्ताक्ष र नाम पता

तारीख

प्ररूप सं. 5

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की घारा 77 के के अधीन सूचना

सेवा में.

छावनी अधिशासी अधिकारी,

.....छावनी बोडं

वियय . खाली करने की सूचना।

NO TO AND

में/हम, छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 77 के अधीन मूचना देती /देता हूं/देते हैं कि उपर उल्लिखित संपरित बाली हैं और तारीखसे उससे कोई भाटक नहीं मिल रहा है। कुपया इसे नोट करें।

भवदीय.

हस्ताक्षर

नाम पता

तारीख---

†यहा संपत्ति. के खाली भाग की विशिष्टियों का उल्लेख करें।

प्ररूप सं. 6

छावनी अधिनियम, 1924 (1924का 2) की धारा 79 के अधीन सचना

सेवा में.

छावनी अधिशासी अधिकारी, छावनी बोर्ड,

विषय के नाम से ज्ञात संपत्ति का पुन : ग्रधिभोग

महोदय,

में/हम, छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 79 की उपधारा (1) के अधीन सूचना देती / देता हूं/देते है कि उपर गया है।

भवदीय.

हस्ताक्षर नाम पता

हारीख

†यहा संपत्ति के भाग का उल्लेख करें।

प्ररूप सं. 7

छावनी ग्रधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 82 की उपधारा (3) के ग्रधीन सूचना

प्रेपिती

1. 181 v. 1 Sec.

महोदय / महोदया,

ग्रापके द्वारा च्ंगी कर/पर्यन्त कर/पथ कर के रूप में देय रु. की रकम अदा न करने के कारण नीचे सूचीबढ़ माल/यान/यानों/ पत/पश्जों का तारीखको ग्रापसे ग्रभिग्रहण कर लिया गया था।

और ग्राप उक्त माल / यान / यानों / पश् / पश्ओं पर चंगी/पर्यन्त रहे हैं:

अत':, अब मैं, अर्थात् छावनी बोर्ड, का अधिशासी ग्रधिकारी, छावनी अधिनियम, (1924 का 2) की धारा 82 की उपधारा (3) के यनुसरण में ग्रापको सूचना देता हूं कि नीचे सूचीबढ माल /यान / यानों /पशु /पशुओं की बाबत चुंगी / पर्यन्त कर /पयकर यान / यानों /पणु / पणुओं की तारीख को नीलामी द्वारा बेचा जाएगा।

उक्त माल. यान / यानों / पशु / पशुओं के अभिग्रहण, अभिरक्षा या बेचने -के कारण हुआ व्यय भी आपसे वसूल किया जाएगा, यदि उक्त रकम और व्यय, नीलांसी ढारा विकय के प्राम्रभ से पूर्व ग्रापके ढारा अदा नहीं किया जाता है।

भवदीय,

	ग्रधिशसी ग्रधिकारी
छावनी बोर्ड कार्यालय	छावनी बोर्ड
.	(बोर्ड की मुदा)
तारीख	

माल / यान / यानों / पण / पणओं की सची

प्रहर सं. 8

2. 3.

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 103 उपधारा (1) के अधीन सूचना प्रेषिती

महोदय / महोदया,

1.

ग्रापके ग्रधिभोग मेंनाम से ज्ञात इमारत/भूमि के कर दायित्व / निर्धारित की जाने रकम / वार्षिक मुख्य को ग्रभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए जानकारी लेना ग्रावण्यक हो गया है ;

ग्रत: ,ग्रब मैं, ग्रयातछावनी बोर्ड का ग्रधिशासी ग्रधिकारी, ग्रापसे माग करता हूं कि इस सूचना की प्राप्ति के 15 दिन ओर दिए गए प्ररूप में मायस्यक सूचना दें। 15 दिन के अन्दर सूचना देने में ग्रसफल रहने या ऐसी सूचना देने की दशा में जो ग्रापके सर्वोत्म ज्ञान या विश्वास के अनुसार सही नहीं है, आप उक्त अधिनियम की धारा 103 की उपधारा (2) के ब्रधीन जुमनि से, जो 500 रू. का हो सकेगा दण्डनीय होंगे और इमारत / भूमि का कर दायित्व/ निर्धा-रित की जाने वाली रकम / वार्षिक मूल्य उतना विनिशिचत किया जाएगा। जितना बोर्ड उचित समझता है। इस प्रकार किया गया निर्धारण अन्तिम होगा।

भवदीय.

छावनी बोर्ड का कार्यालय	छावनी ग्रधिशासी ग्रधिकारी
सं	छावनी बोर्ड
तारीख	(बोर्ड की मुद्रा)

 $\begin{array}{cccc} f & & & & \\ f & & & \\ p & & p & n^{2} & \\ N^{2} = p^{2} & n^{2} \end{array}$

1.00 hild

4.

492 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 8, 1986/KARTIKA 17, 1908

[PART II -SEC. 4]

प्ररूप सं. 8 (जारी)

छावनी सधिनियम 1924 (1924 का 2) की घारा 103 के ब्रधीन दी गई जानकारी

1. मकान सं. सड़क और परिक्षेत्र।

2. स्वामी का नाम और पता।

3. उत्तराधिकार सं. कम की तारीख

4. सपत्ति के लिए संदत्त की गई कीमत ।

5. (क) कच्चा या प्रका।

(ख) इमारत का क्षेत्र।

(ग) भूमि का क्षेत्र।

6. मंजिलों की संख्या।

 प्रत्येक मंजिल में कमरों की संख्या, जिसके ब्रग्तर्गत भंडार, रसोई और स्नानगृह भी हैं, और उनकी दिशाएं।

 (क) आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग में हैं या वाणिजियक प्रयोजनों के लिए ।

(ख्र) इ मारत का उपयोग होटल, महाविद्यालय, विद्यालय, अस्पताल या कारखाना चलाने के लिए किया जा रहा है। यदि हा तो कृपया पूरे ब्यौरे दोजिये।

9. यदि कोई भाग किराए पर दिया गया है तो किरायदारों के नाम प्रत्येक को किराए दी गई वास सुविधा और मासिक किराया।

10. क्या मकान में:---

(क) बिजली लगी है।

- (ख) धरेल पानी कनेक्शन है।
- (ग) स्वच्छ शीचालय है।

11. क्या मकान का राज्य सरकार के सम्पत्ति कर के लिए निर्धारण किया गया है। यदि हां, तो उत्पाद-शुल्क और कराधान अधिकारी द्वारा नियत निर्धारण की रक्तम कितनी है, और निर्धारण किस तारीख से लागू है।

स्वामी/अभिभोगी/किराएदार/के हस्ताक्षर

१ मा भग्र

छावनी ग्रजिनियम, 1924 (1924 का 2) की घारा 121 की उपधारा (1) के ग्रधीन सूचना

प्रेषिती

महोदय/महोदया,

इरपने बोर्ड को लिखित अनुज्ञा के बिना, अपनी सोंपड़ी / इमारत की छत / दीवार (दीवारों) का नवीकरण धास / चटाईयों / पत्तियों / जलनशील सामग्री से किया है,

a. a. 1. the second

मता: इत्रव, छावनी अधिनियम, 1924 की घारा (2) की उपधारा (1) डारा प्रवत्त याक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं छावनी बोर्ड के अधिवासी अधिकारी के रूप में अपको सूचना देता हूं कि आप इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के अन्दर इपनी झोंपड़ी / इमारत की छतों / दीवारों को हटा दे।

> भवदीय, क्रधिकारी क्रधिकारीां छावनी बोर्ड (बोर्ड की मुद्रा)

छावनी बोर्ड कार्यालय

सं.

तारीख

प्ररूप सं. 10

छावनी ऋधिनियम, 1924 (1924 का 2) की घारा (2) की उपघारा (2) के ऋघीन सूचना

व्रेषिती

महोदय / महोदया,

ग्रापकी ओंपड़ी / इमारत की बाहरी दीवारें / छत (छतें), बोर्ड की मंजूरी से / के बिना छास /चटाईयों /पत्तों · · · · या जलनशील पदार्थों से बनाई गई हैं,

और बोर्ड की यह राय है कि आपकी ओपड़ी / इमारत की बाहरी दीवारों / छत (छतों) को जलनशील पदार्थों से बना होने के कारण हटाया जाना चाहिए

अतः, अव में सर्मात् अधिशासी अधिकारी, छावनी अधिनियम 1924 के इत्नुसरण में सूचना देता हूं कि, इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से दिन के अन्दर, आपको झोंपड़ी / इमारत की बाहरी दीवारें / छतें हुट दी जाए।

ਪਰਟੀਸ

1. J. 19

				- 14
छावनी वोर्ड कार्यालय		ग्रविशासी	मधिकारी	-
ŧ	Ŧ	छावनी	बोर्ड	in the second
ता रीख		(बोर्ड की	ो मुद्रा)	Sale and

*जो ग्रावश्यक न हो उसे काट दें।

** यहा चनुपालन के लिए उचित अयधि लिखें।

प्ररूप सं. 11

छावनी ऋधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 126 के प्रधीन सूचना जेविती

महोदय मतोवया,

छावना बोर्ड की यह राय है कि आपके स्वामित्वाधीन /शागत, सामित्वाधीन इमारत / दीवार / कुंग्रा/तालाय/जलाशय/पुल/उत्खात/गड्ढ़ा/ किनारा/वृक्ष (जो इससे उपाबढ सारणी में वणित है) बर्जर हालत में है थोर पड़ोस में होकर जाने वाले रहने वाले/काम करने वाले व्यगितयों के लिए म्पूसेंस खतरनाक है **;

ग्रंत : जब में, ग्रथीतछावनी बोर्ड का ग्रंधिणासी ग्रधिकारी, छावनी ऋधिनियम, 1924 की धारा के इनुसरण में इन्द्रको सूचना देता हुं कि ** *को कि इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से दिन के ग्रन्दर, हटाया जाए/ उसकी मरम्मत सरंका की जाए, ऐसा करने में चूक करने की दशा में उक्त कार्य, छावनी वोडं ढारा , जापकी जोखिम और खर्च पर किया जाएगा ।

चावदीय.

छावनी बोर्ड कार्यालय	राधिशासी ।	र धिका री
·	ভাৰনী	वोडं
तारीख	(बोर्ड क	ो मुद्रा)

*किराएदार की दशा में "ग्रापके" झब्दों का लोप किया जाएगा ! **जो लागू न हो उसे काट दें।

***यहां स्वामी / किराएदार की ओर से की जाने दाली कार्रवाई विनिविष्ट करें।

प्ररूप संख्या 12

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 127 के अर्घोन सचना

प्रेषिती

-

महोदय/महोदया,

यह देखा गया है कि इमारत सं./खाली प्लाट सं.के कारण दखल की गई नहीं है, भीर निकम्में तथा विच्छूखंल व्यक्ति/व्यक्तियों के या ऐसे व्यक्तियों के जिनके जीवन निर्वाह के दृश्यमान साधन नहीं है/ जो अपनी बाबत समाधानप्रद लेखा जोखा नहीं दे सकते हैं/इकट्ठा होने का स्यान हो गई है/जुए के लिये/अनैतिक प्रयोजनों के लिये या (ग्रम्य प्रयोजन) के लिये काम में लाई जा रही है और या उसके कारण म्य् सेंस होना संभाव्य है।

ग्रतः, ग्रव में, ग्रथात् छावनी बोर्ड का ग्रविशासी ग्रधिकारी छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 127 के अनुसरण में, यापको सूचना देता हूं कि इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से विन के झन्दर उक्त इमारत सं. खाली प्लाट सं. को ग्रच्छी सरह बन्द करने की सूचना देता हूं।

प्राधिकार : ।	छा.यो.र.	.सं. · · · ·		'तारी	a
		3 -			भवचीय,
छावनी कोई कार्याल	य		14		प्रविशासी प्रविकारी
Ba				··*,	ভাবনী ৰাষ্ঠ
तारीख	•••				(बोर्ड की मुद्रा)

7. r Fil.

*ग्रन्य प्रयोखन विनिर्दिष्ट करें। **जो सागू न ही उसे काट हैं। 1014 GL/86-2

छावनों अधिनियम, 1924 (1924 का 2) क' धारा 133 के खण्ड (क) के अधीन सूचना

प्ररूप सं. 13

प्रेषिती

महोदय/महोदया,

यह देखा गया है कि.

..............

- *(1) ग्रापकी इमारत/मूमि का बह बच्चा न्यूसेंस कर रहा है भौर उसे बन्द रखना ग्रावश्यक है;
- *(2) आपकी इमारत/भूमि में गन्दगी के इकट्ठा करने के पाल को साफ हालत में नहीं रखा गया है। आपकी इमारत/भूमि में मल इकट्ठा हो रहा है।
- *(3) आपकी इमारत/भूमि पर प्राइवेट गौचालय/ मूतालय/हीदी/स्नानघर से पानी या किसी दुर्गन्धयुक्त पदार्थ का रिसना या बहुना पड़ोसियों ग्रीर गुजरने वाले व्यक्तियों के लिये न्यूसेंस पैदा कर रहा है।
- *(4) आपको इपारत/मुमि में कचरा या दुर्गन्धयुक्त पदार्थ इकट्ठा होने दिया गया है, इसके नीचे या उसमें रहने दिया गया है।

ग्रतः ग्रब मैं, ग्रयांत्छावनी बोर्ड का ग्रधिशासी ग्रधिकारी, छावनी ग्रधिनियम, 1924 की धारा 133 के खण्ड (क) के उप खण्ड* के अनुसरण में आपको सूचना देता हूं कि धाप इस सूचना की प्राप्ति के दिन के ग्रन्दर उस बच्चे को बन्द कर दें/गन्दगी को इकट्ठा करने के पाल का साफ हालत में रखें/इकट्ठा हो गए मल को हटा दें/निरव के गन्दे पानी को सार्वजनिक स्थान में बहना रोक दें या पक्के वह बच्चा की व्यवस्था करें/उचित रूप से ढकने की व्यवस्था करें/मरम्मत करें/कचरे को हटाएं/निर्मल करें।

छावनी बोर्ड कार्यालय

भवदीय, ग्रधिशासी प्रधिकारी

(बोर्ड की मुद्रा)

छावनी बोर्ड

Ħo

तारीख.....

टिप्पणी: * जो आवश्यक न हो उसे काट वें।

*भारत या भूमि के ज्यीरे दें।

*यहां धारा 133 के खण्ड (क) की संबंधित उपधारा का उल्लेख करें।

प्ररूप सं. 14

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) को घारा 133 के खण्ड (ख) खण्ड (ग) के अधीन सुबना

प्रेषिती

......

महोवय/महोबया,

इस बात पर ध्यान गया है कि

*(1) आपकी इमारत/भूमि से सार्वजनिक नाली में जाने वाली माली का बनाना वा उखनें, परिवर्तन करना, रोकना सावश्यक है;

Mirie 20101

494 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 8, 1986/KARTIKA 17, 1908

*(2) आपके नियंत्रण में की नाली साफ नहीं है/नाली की मरम्मत आवश्यक है/नाली में परिवर्तन किया जाना चाहियें/नाली को ग्रच्छी हालत में रखना आवश्यक है।

झतः, झव मैंछावनी बोर्ड़ का अधिशासी अधिकारी, छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 133 के खण्ड (ख)/खण्ड (ग) के अनुसरण में सूचना देता हूं कि आप इस सूचना की प्राप्ति केदिनों के अन्दर सार्वजनिक नाली में जाने वाली, उक्त नाली को बनाने या उसके परिवर्तन करने से परिविरत रहें/साफ कर दें/निर्मल कर दें/इसकी मरम्मत कर दें/उसे अच्छी हालत में रखें।

भवदीय.

छावनी बोर्ड कार्यालय	ग्रविशासी ग्रधिकारी,
सं	छावनी बोर्ड,
तारीख	(बोर्ड की मुद्रा)
टिप्पणी : *भवन या भूमि के ब्यौरे दें।	

*जो झावण्यक न हो उसे काट दें।

प्ररूप सं. 15

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की घारा 134 की उपधारा (क) के अधोत सुचना

प्रेषिती

.....

गहोदय/महोदया,

यतः, यब मैंछावनी बोर्ड के ग्राधिशासी अधिकारीछावनी अधिनियम, 1924 की धारा 134 की उपधारा (1) के यनुसरण में, आपको सूचना देता हूं कि इस सूचना के प्राप्ति केधिन के भ्रन्दर उक्त कुएं/तालाव/जलाणय/ सिस्टेंन/पाल को भर दें/उक दें।

	भवदाय,
छावनी बोर्ड कार्यालय	ग्रविशासी प्रविकारी
सं॰ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	छावनी बोडं
तारीख	(वोर्ड की मुद्रा)
я	ारूप सं. 16

छावनी घ्राधनियम, 1924 (1924 फा 2) की घारा 135 के घष्ठीन सूचना

प्रेषिती '

महीदय/महादया,

इस और घ्यान प्राकर्षित हुआ है कि आपके स्वामित्याधीन/प्रधि-भोगाधीन भूमि/इमारत/मकान में, जो के रूप में ज्ञात है गौवालय/मूत्रालय/त्रह-बच्चे/धूलिभाण्ड/मंदगी, मल या कचरे के पाझ/ प्रतिरिक्त धौचालय/मूत्नालय/वह-बच्चे/पात्र का उपबंध किया जामा चाहिये;



भतः, भव मैं,छावनी बोर्ड के श्रधिशासी मधिकारी को हैसियत से, छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 135 के अनुसरण में, आपको सूचना देता हूं कि आपके उक्त स्वामिरवाधीन भूमि/इंमारत/ मकान में निम्नलिखित विनिर्दिष्टयों के मनुरूप हो

(यहां ग्रापेक्षित शोचालय/मूतालय/चह-बच्चा, ग्रादि का उल्लेख करें) उपवंध किया जाना चाहिये ।

(यहां यह रीति विनिर्दिष्ट करें जिसमें ग्रीवालय/मूत्रालय/वह-वच्चे, ग्रादि का उपबंध किया जाना है)

	भवदाय,
छावनी बोर्ड कार्यालय	अधिणासी अधिकारी
संo · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	छावनी बोर्ड
तारीख	(वोर्ड की मुद्रा)

प्रारूप सं. 17

छावर्न, अभिनियम, 1924 (1974 की 2) की घारा 136 के अधीन सूचना सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,

....छावनी बोर्ड,

महोदय/महोदया,

में,. (यहां स्वापना का विनिर्दिष्ट करें)

(स्थापना का नाम)

व्यक्तियों को तारीख से कर्मचारियों के रूप में नियोजित कर रहां हूं।

. भवदीय,

1 A A	हस्ताक्षर
स्थान	
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	नाम
तारीख	. पता.

प्रारूप सं. 18

छावनी अग्निनियम, 1924 (1934 का 2) की धारा 137 के अजीन सूचना महोदय/महोदया,

यह झ्यान गया है कि-

*(1) आपके स्वामित्वाधीन /नियत्वणावीन प्राईवेट शौवालय/मूत्राजय सार्वजनिक उपयोग के लिए काम में नहीं लाया जामा चाहिए;

*(2) आप जो प्राईवेट शौचालय/मूतालय बना रहे हैं/मरम्मत करा रहे हैं यह नहीं बनाया जाना चाहिए, उसकी मरम्मत नहीं की जानी चाहिए;

(जिसकी प्रतियां छावनी बोर्ड के कार्यांलय के निःश् ल्क उपलब्ध हैं)

to a ser Month

[PART II - SEC. 4]

मारत का राजपत्न : नवम्बर 8, 1986/कातिक 17, 1908

*(3) आपके स्वामित्वाधीन/नियंतगाधीन प्राईवेट शीचालय/मूतालय सार्वजनिक न्यू सेंस है।

- *(4) आपके स्वामित्वाधीन/नियंत्रणाधीन शौचालय
 - (क) वहां से जाने वाले व्यक्तियों/पड़ोस में रहने वाले निवासियों को नजर आता है ;

(ख) को निचे दिए गए विनिर्दिष्ट रीति से साफ रखने की आवश्यकता है:
 (यहां उस रीति का विनिर्दिष्ट न करें जिसके अनुरूप सफाई अमेक्षित है)
 *(5) आपके स्वाभिःवाधोः/नियंत्रगावीन नाजी ढकी हुई नहीं है और उसे निम्नलिखित/विनिर्दिष्ट रीति से ढकने की आवश्यकता है:

(यहां ढकने की उपरोक्त रीति विनिर्दिष्ट करें)

अतः अव मैं '''''' छावनी बोर्ड के अधिणासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 1924 की घारा 137 के खंड '''' के अनुसरण में, आपको सूचना देता हूं कि इस सूचना की प्राप्ति के ''''दिन की अवधि के अन्दर '''' स्थित आपके स्वामित्वाधीं'./नियंत्वणाधीन भूमि/इमारत में प्राईवेट धौचालय/मूत्वालय/नाली इसमें इसके पश्चात विनिर्दिष्ट रीति से बानई जाए/ मरम्मत की जाए/इटा ती जाए/बद कर दी जाए/ताफ की जाए/ढक दी जाए ।

	सवदाय,
छावनी बोर्ड कार्यालय	अधिशासी अधिकारी,
सं॰ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	छावनी बोर्ड
तारीख	(बोर्ड की मुद्रा)

टिप्पणी : जो आवश्यक न हो उसे काट दें/ /यहां खंड विनिर्दिष्ट करें । =इमारत या भूमि का विवरण दें ।

प्ररूप सं. 19

छावनी ग्रधिनियम 1924 (1924 का 2) की धारा 138 की उपधारा (3) के अधीन सूचना

.....

.....

महोदय/महोदया,

और बोर्ड का समाधान हो गया है कि उक्त इसारत/(इसारतों) को तत्काल हटाना आवश्यक है;

ग्रतः, ग्रव मैं,.....छावनी बोर्ट के ग्रधिवासी श्रधिकारी की हैसियत से, छावनी इधिनियम, 1924 की धारा 138 की उपधारा (3) के ज्रमुसरण में, ज्ञापको सूचन। देत। हूं, कि इस सूचन। की प्राप्ति के.....दिमों के ख्रन्दर उक्त इम।रक्ष/इमारसों को हटा दिया जाए।

भववीय,

छावनी बोर्ड कार्यालय	ग्रधिणासी अधिकारी
	छावनी बोर्ड
तारीखः	(बोर्छ की मुदा)

[यहां संबंधित इमारत (इमारतों) का विवरण दीजिए]

प्ररूप सं. 20 छाबनी ब्रधिनियम, 1924 (1924 का 2) की घारा 139 की

सारणी

उपधारा (1) के श्रधीन सूचना

महोदय/महोदया,

बोर्ड की राय में इमारत[इमारतों झ्थवा इसके भाग जो द्रावास गृह के रूप में काम में लायी जा रही है, इतनी झनसकुल है कि उसमें रहने वालों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ सकता है ;

उपर्युक्त ऋषेक्षा के अनुपालन में इसफल होने पर आप उक्त अधिनियम को धारा 139 को उपधारा (2) के अधीन इक्षियोजन के दायी होंगे।

भवदीय.

छावनी बोर्ड कार्यालय	द्रधिशासी अधिकारी
	छावनी बोर्ड
तारीख · · · · · · · ·	(बोर्ड की मुद्रा)
*इसके पक्ष्वात् उन रहने वाले झभिधारियों	क्रन्य रहने वाले व्यक्तियों

के ब्यौरे दें जिनकी संख्या में कमी की जानी है।

प्ररूप सं. 21

छावती ब्रविनियम, 1924 (1924 को 2) को घारा 140 के प्रधीन सूचना

महोदय/महोदया,

.

...............

बोर्ड की यह राय है किस्वत ग्रापके स्वामित्व/ ग्रधिभोग के ग्रधीन इमारत/इमारतेंको गर्रम्मत/ जर्जर छस्त,स्म्यकर दक्षा में हैं और उसमें, निम्नलिखित मरम्मतें/परिवर्तन करने की ग्रावश्यंकता है :

(1)	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		e
(2)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
(3)	•		• •				•	•	•	•	•		•		
(4)	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

इतः ग्रव में,छावनी बोर्ड के श्रीधवासी धधिकारी की हैसियत से, छावनी घधिनियम, 1924 की धारा 140 के इतुसरण में धापको सूचना देता हूं कि इस सूचना की प्राप्ति के ... दिन के प्रश्वर उक्त मरम्मत/परिवर्तन कर दिए जाएं।

भावदीय

17.7 20

छावनी बोर्ड कार्यालय	अधिवासी .	দলিকাথী,
Ho		ावनी बोर्ड
तारीख	(बोर्ह	की युद्रा)

P A P M P

495

496 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 8, 1986/KARTIKA 17, 1908

[PART II - SEC. 4]

washr

प्ररूप सं. 22

छावनी इत्धिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 141 की उपधारा (1) के द्वधीन सूचना

.....

...........

महोदय/महोदया,

ग्नापके स्वामित्व/ग्रधिभोग के ग्रधीन भूमि/इमारत······गंदी/ ग्रस्वास्थयकर हालत में है । *पड़ोस में रहने वात्तों के लिए न्यूसेंस है।* में नागफनी/मोथा घास/हानिकर बनस्पति की ग्रधिकता है ।

भवदीय,

छावनी, बोडं कार्यालय	द्रधिशासी अधिकारी,
	. छावनी बोर्ड
तारीख•••••	(बोर्ड की मुद्रा)
टिप्पणी : * जो ग्रावस्यक न	हो उसे काट दें।

प्ररूप सं. 23

छायनी ग्रधिनियम, 1924 (1924 का 2) की घारा 142 के ग्रधीन सूचना

छावनी बोर्ड कार्यालय	भवदाय ग्रहिशासी ग्रहिकारी,
₹io · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	छावनी बोर्ड
तारीख	(बोर्ड की मुद्रा)

प्ररूप सं. 24

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 143 के अधीन सूचना

सेवा में,

महोवय/महोदया,

......

· ·· /

यह देखा गया है कि जापके स्वामित्य/जविष्ठोग के ज्रधीन खदचिव जूमि/इमारत में जनिव्दकर/वड़-सांखाड़ हो गया है जो पड़ोल के निवासी व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए क्षतिकर/क्लेधकर है,

छत्त: ग्रंब मेंछावनी बोर्ड के अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियस, 1924 की छारा 143 के अनुसरण में आपको सूचना वेता हूं कि उक्त वृत्ति/भवत्र डे डक्त उद्यिक्त/साङ्- झंखाड़ कोदिनों के घन्दर साफ कर दें और हटा दें।

छावनी बोर्ड कार्यालय	घषिणासी मधिकारी,
#io	छावनी बोडें
तारीख•••••	(बोर्ड की मुद्रा)

प्ररूप सं. 25

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धार, 145 के अधीन सूचना

महोदय/महादया,

इगपके स्वामिल्व/भारसाधन के ग्रधीन कविस्तान/श्मशाल के बारे में, की दशा, प्रबन्ध इग्पस्थिति के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करना ग्रावश्यक है,

(यहां अपेक्षित जानकारी विनिदिष्ट करें)

डातः जब मैं,छावनी बोर्ड के ग्रधिशासी प्रधिकारी की हैसियत से, छावनी ज्रधिनियम, 1924 की घारा 145 के झनुसरण में द्यापसे ज्रपेका करता हूं कि, इस सूचना की प्राप्ति के.....दिन के ज्रन्दर उक्त.....कंत्रिस्तान/स्मशान के बारे में प्रपेक्षित जानकरी दें।

	. મવવાય,	1
छावनी बोर्ड कार्यालय	ग्रधिमासी अधि	नारी,
<i>що</i>	छावनी बोड	-
तारीख•••••	(बोर्ड की मुद्रा)

प्रस्प सं. 26

छावनी ग्रधिनियम, 1924 (1924 का 2) की घारा 152 के श्रधीन सूचना

.....

महोदय/महोदया,

चिकित्सीय व्यवसायी श्री/श्रीमतीमे यह प्रमाणित किया है कि संकामक सांसमिक-रोग का नामरोग के प्राक्रमण फैलने के कारण ग्रापके ढारा छावनी बोर्ड में दूध के प्रदाय के कारण माना जा सकता है।

ग्रतः ग्रन मैं छावनी बोर्ड के अधिणाती-ग्रधिकारी को हैसियत से, छावनी ग्रधिनियम 1924 की धारा 152 के ग्रनुवरण में, ग्रापको सूचना देता हूं कि इस सूचना की प्राप्ति के दिन के ग्रन्दर मुझे ग्रपने सभी प्राहकों के साम और पतों की विस्तृत तथा पूरी सूची जेख दें जिसखे की उन व्यक्तियों का, जिन्हें ग्रापने दूध देया है, पता जयाना सम्भव हो सके ।

भवदीय,

8191

ठावनी बोर्ड कार्यालय	द्यधिपासी	ग्रधिकारी,
fo		छावनी बोढं
तारीच		(बोर्ड की मुता)

प्ररूप सं. 27

छावनी इदिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 153 के इधीन सुचना

स्वास्थ्य ग्रधिकारी ने यह प्रमाणित कर दिया कि, संकामक/सांसमिक

ग्रतः ग्रव मूँ, छावनी, जोर्ड के ग्रधिशासी ग्रधिकारी,

की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 153 के इनुसरण

में आपको सूचना देता हूं कि इस सूचना की प्राप्ति केदिनों

के इन्दर स्वास्थ्य इःधिकारी को, छावनी के ग्रान्दर इःपने सभी ग्राहकों

के जिनके कपड़े और अन्य चीजें आप घोते हैं या इस सूचना की तारोख से ठीक पूर्ववर्ती छः सप्ताहों के दौरान घोएं है, नाम और पते की विस्तृत

भवदीय,

घधिशासी घधिकारी,

छायनी बोर्ड

(बोर्ड की मुदा)

..... रोग का फ़ैलना निवारित करने की दृष्टि से,

(रोग का नाम) ग्रापके ग्राहकों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना

प्ररूप

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की घारा 161 के अधीन सूचना

महोदय/महोदया,

बोर्ड की राय है कि, संकामक/सोर्सागक रोग फैलने के निवारण/ रोकथाम के लिए श्रापकी इमारत/इमारत के किसी भाग की सफाई ख्रौर विसंकामण/इमारत के फर्थ/इमारत में की चीजों को हटाना ग्रावश्यक है,

ग्रतः ग्रव मैं,छावनी बोर्ड का ग्रधिशासी ग्रधिकारी, होने की हैसियत से, ग्रापको, छावनी ग्रधिनियम, 1924 की धारा 161 के ग्रनुसरण में, इस सूचना की प्राप्ति के दिन की ग्रवधि के ग्रन्दर, नीचे विनिदिष्ट इमारत/इमारत के भाग की सफाई/विकमण करने/भवन के फर्श/मवन में की चीजों को हुटाने की सूचना देता हूं ।

भवदीय,

प्रधिसाशी अधिकारी

छावनी बोर्ड

(बोर्ड की मुदा)

and and an even surface to the set of a	
and a final and a first on a diversion of a later	
(यहां व्यीरा दीजिए)	
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	
छायनी बोर्ड-कार्यालय	
Ħo	
तारीख	

.....

प्ररूप सं॰ 30

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 162 की उपवारा (1) के अधीन सूचना

महोवय/महोवया,

स्वास्य्य श्रधिकारी ने रिपोट दी है कि छावनी में,

- *(क) ग्रापकी छेरी से प्रवाय किए गए दूध के उपभोग से
- *(ख) ग्रापके दारा कपड़ों या धन्य चीजों की घुलाई/कपड़ों या चीजों की • · · · · · (स्यान का नाम) पर घुलाई के काम में लाई गई प्रक्रिया से संकामक या सांसर्गिक रोग पैदा हुआ है/पैदा होना संघाष्य है ।

प्ररूप सं. 28 छावनी भ्रधिनियम, 1924 (1924 का 2) की घारा 155 के घ्रधीन सचना

ग्नतः छावनी अधिनियम, 1924 की घारा 155 के खण्डके ग्रनुसरण में, मैं......छावनी बोर्ड के ग्रधिगासी अधिकारी की हैसियत से, निद्रेश देता हूं कि, जब तक आगे सूचना न दी जाए,

- *(क) ग्रापकी डेर से किस। व्यक्ति को दूध का प्रदाय नहीं किया जाना चाहिए ।
- *(ख) जापके द्वारा (स्वान क नाम) पर इस प्रयोजन के लिए अपनाई गई रीति में अर्थात् अर्थात् कु घुलाई नहीं क, जनो बाहिए/काडों/वाजों का घुलाई का प्रक्रिया नहीं अपनाई जामी वाहिए।

77.8	20	131	
110		ч	

छावनी बोर्ड कार्यानय		वविवासी अविकारी
		/ छावनी वोई
तारीख		(बोर्ड की सुद्रा)
हिव्यणी: * को मी	द्यावण्यक न हो उसे व	काट थें।

महोदय/महोदया,

बोर्ड की राय है कि संक्रामक/सांसगिक रोग..... के फैलने के निवारण के लिएमें स्थित आपके स्थामित्व वाले सायवान/क्षोपड़ी और उसकी सामग्री को नष्ट किया जाना ग्रावश्यक है,

ग्रतः में.....छावनी योर्डं का घविकासी मधिकारी, की हैसियत से, ग्रापको, छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 162 की उपधारा (1) के प्रनुसरण में, सूचना देता हूं कि ग्राप इस सूचना की प्राप्ति केदिन की प्रयधि के ग्रन्दर, पूर्वोक्त सायबान/ क्षोपड़ी ग्रीर उसकी सामग्री को मध्ट कर दें।

	प्रधिशासी अधिकारी,	
छायनी बोर्ड कार्यालय	छावनी बोडे	
€io	(वोर्ड की मुद्रा)	
RT7100	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

भवतीय.

महोदय/महोदया,

धायश्यक है,

और पूरी सूची दी जाए ।

छावनी वोई कार्यालय

ä · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

तारीख

.

[PART II-SEC: 4]

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की घारा 162 की उपघारा (2) के अधीन सूचना

*************

महोदय /महोदया,

बोर्ड के ग्रध्यक्ष की हैसियत से, मेरा समाधान हो गया है कि झोंपड़ी को तत्काल नष्ट करना ग्रावश्यक है।

ग्रतः में, छावनी बोर्ड के अध्यक्ष की हैसियत से, छावनी ग्रविनियम, 1924 की धारा 162 की उपधारा (2) के मनु-सरण में, आपको सूचित करता हूं कि आपके स्वाभित्व/दखल वाली उक्त सायबान/झोंपड़ी तुरन्त नष्ट कर दी जाए । उक्त सायबान/झोंपड़ी को नष्ट करने में आपके असफल रहने की दशा में, इसे बोर्ड, इस अधिसूचना की प्राप्ति के घण्टों के अन्दर नष्ट कर देगा ।

भवदीय.

	2. 1	भ्रघ्यक्ष
छायनी द्वोडं कार्यालय सं		छावनी बोर्ड (वोर्ड की मुद्रा)
तारीख	-	

*जो भी ग्रावश्यक न हो उसे काट दें। ** यहां अवधि का उल्लेख करें जो कि दो घण्टे से कम न हो।

प्ररूप सं. 32

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 169 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन सूचना

सेवा में.

...........

महोदय/महोदया,

बोर्ड की राय है किमें स्थित ग्रापके स्वामित्व नियंत्रण के ग्रधीन कुआ/तालाब/ (अन्य स्थान) के पानी को, यदि पीने के काम में लाया गया तोरोग फलने का खतरा पैदा होगा/फैल जाएगा ;

अतः में, छावनी बोर्ड के अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 169 की उपघारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में आपको, सूचना देता हूं कि आप इस सूचना की तारीख से, उक्त कुआ/तालाब/से जनता को पानी का प्रयोग करने/रोकने

(ग्रन्थ स्थान)

के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं।

1 1																									
(1)	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
(2)													•			•					•	•	•		
(3)							•	•		•		•		•		•			•						
																									भवदीय,
																								•	
																									भविषासी भा
-	-	-		-	1.4																				

धिकारी, छावनी बोडं छावनी बोर्ड कार्यालय (वोडं की गुद्रा) 'तारोब'

हिप्पणी : जो लागू म हो उसे काट दें।

Hele

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 170 के अधीन सूचना

प्ररूप सं० 33

महोदय/महोदया

यह रिपोर्ट मिली है किकी मृत्यु संकामक/सांसगिक रोग से हो गई है:

- मतः मैं, जावनी बोर्ड के मधिशासी प्रधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 170 के खण्ड
- (क) खण्ड (ख) के अनुसरण में, आपको सूचना देता हूं कि
 - * (क) उसे शव गृह ले जाएं।
 - *(ख) याव को आवगृह पर, दक्तनाए जाने/जलाए जाने/ले जाने के प्रयोजन के लिए, याव को हटाएं।

भवदीय,

. . . प्रधिशासी अधिकारी, छावनी बोई

(वोर्ड की मुद्रा)

सं	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	

तारीख

छावनी बोर्ड कार्यालय

टिप्पण : * जो भी आवश्यक न हो उसे काट दें।

प्ररूप सं० 34

छावनी ग्रधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 175 की उपधारा (1) के ग्रधीन सूचना

.

महोदय/महोदया,

यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि, झाप संकामक/सांसगिक रोग से पीड़ित है:

वतः मैंछावनी बोर्ड के अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी/भारसाधक चिकित्सा अधिकारी की हैसियत से, छाबनी अधिनियम, 1924 की धारा 175 की उप धारा (1) के अनुरूप में, आपको सूचना देता हूं कि माप हों। आप, भारसाधक चिकित्सा अधिकारी, की अनुज्ञा के बिना वस्तताल/मौषधालय से नहीं जाएंगे।

भवद.य,

भविणासी अविकारी,

14300

hild

M

छावनी बोर्ड कार्यालय	छावनी बोढे
संo	(योडं की मुद्रा)
तारीख	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

498

[माग 11--खण्ड 4] . मारत का राजमत : मबम्बर 8, 1986/कार्तिक 17, 1908

भवदीय,

हस्ताक्षर

प्ररूप,सं., 35

अवनी अधिनियम, 1924 (1924 को 2) की बारा 183 (ख) के ग्राधीन सूचना

सेवा,में,

अधिशासी अधिकारी,

.....छावन बोर्ड,

कृपया इसे नोट कर लें ।

स्थान

तारीखः

पता

प्ररूप सं॰ 36

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की घारा 185 की उप-उपघारा (2) के खबीन सूचता

.....

महोदय/महोदया,

यह विचार किया गया है कि, आपके स्वामित्व में/दखल में/पट्टे पर लिए गए, नीचे चनुशुची में विनिर्दिष्ट इमारत का (जिसे इसके पश्चात् उक्त इमारत कहा गया है) बनाया जाना/पुनः/वनाया जाना छावनी घर्षिनियम, 1924 (1924 का 2) की घारा 185 के झधीन प्रपराध है,

अतः अव मैं छावनी वोर्ड के प्रधिशासी की हैसियत से, छावनी प्रधितियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 185 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको सूचना देता हूं कि उन्त इमारत का बनाया जाना/पुनः बराया जाना रोक दिया जाए । आपके द्वारा बनाया गया/पुनः बनाया गया जाना रोक दिया जाए और उन्त भवन को उन्त धनुसूची के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट रीति में पुनः बनाया जाए ।

		मनुसू ची		
इमारत	का नाम	इमारत का ^{स्टर} भवस्थान	अधिनितमं की बारा 184 के उल्लंबन में स्वामी/ दखलकार/पट्टेदार द्वारा प्रारम्भ किए गए संनिर्माण के क्यौरे	ग्रीर पुनः बमाए जाने के बारे में
(1)		(2)	(3)	(4)

भा छावनी बोर्ड कार्यालय सं०..... तारीख..... *जो भी ग्रावश्यक न हो उसे काट दें।

प्ररूप सं. 37

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की घारा 185 की उपघारा के म्रावीन सुवना

.....

.....

महोदय/महोदया,

कमान के मुख्य समादेशक प्रधिकारी ने, अपने खादेश सं..... तारीख द्वारा, छावनी म्रधिनियेम, 1924 (1924 का 2) की धारा 181 के अर्थान जारी किए गए बोर्ड के उन घादेश को निलंबित कर दिया है जिसके द्वारा वोर्ड ने नीवे को अनुनुत्वो में विनिद्धि इमारत (जिससे इसमें इसके पण्वात् उक्त इमारत कहा गया है) को बनाने/पुनः बनाने की मंजूरी दी थी:

ग्रौर उक्त इमारत के उक्त बनाए जाने/पुनः/बनाए जाने को रोकना भावध्यक है,

*जो भी ग्रावश्यक न हो उसे काट दें।

ग्रन्स्ची

		A NEW YORK AND A	
इमारत का नाम	इमारत का ग्रवस्थान	स्वामो/दखलदार, पट्टेदार द्वारा प्रारम्भ किए गए, संनिर्माण के व्यीरे	करान के मुख्या- समादेशक अधिकारी ढारा सुझाए गए
			अपांतरणों के
			धनुसार वह रीति
			जिसमें इमारत
			को ढाना/परिवर्तन
		2 1 2	करना/पुनः
			, बनाया जाना
*	*		चाहिए ।
		भवद	Ìá
		अधिगाती	चविषारी,
		ভাৰ	नी बोर्ड
छावनी बोर्ड काय	र्धतत	(बो	ाडंकी मुद्रा)

. 12

Minit

24:15

भवदीय, म्रधिशासी मधिकारी,

499

छावनी बोर्ड

(बोर्ड की मुदा)

700 THE GAZETTE OF INDLA : NOVEMBER 8, 1986/KARTIKA 17, 1908

[PART II -SEC. 4]

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) को घारा 187 के अधीन सूचना

प्ररूप सं. 38

.....

महोदय/महोदया,

मापने, बोर्ड की लिखित मनुता के विना, घ्रपनी इमारत में निम्नलिखित संरचनाओं को /का जोड़ा है/सनिर्माण किया है,

- (1)
- (2)
- (3) (यहां भवन की संख्याएं विनिदिष्ट करें)
 - (4)

भ्रतः, भ्रव में छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 187 के अधिकारी, की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 187 के अनुसरण में, आपको सूचना देता हूं कि, आपको, सूचना की प्राप्ति के यिनों के भ्रन्दर पूर्योक्त जोड़े गए भाग/संरचना/ भूधिकमण को ढा देना चाहिए।

भवदीय,

5	af	म	ता	सं	f		5	rfi	a	-	11	27,	,-	
			ø	14	1-	ती		वो	3					
		(3	ì	ŕ		-	1	-	म	द्र	(1			

छावनी दोडं कार्यालय सं•

.

..............

.................

प्ररूप सं. 39

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की घारा 188 के अधीन सूचना

महोदय/महोवया,

> मवदीय, मविशासी मधिकारी, छादनी बोर्ड (वोर्ड की मुद्रा)

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 189 के अधीन सचना

प्ररूप सं. 40

.

महोदय/महोदया,

यह सूचित किया जाता है कि---

बीच कोई समुचित कनेक्शन/संचार साधन नहीं है।

- (1)
- (2)
- (3)

भवदीय, द्मविशासी प्रविकारी, छावनी बोर्ड

(बोर्ड की मुद्रा)

छावनी बोर्ड कार्यालय सं०

तारीख

टिप्पण : जो भी खावस्यक न हो उसे काट दें।

प्राख्य सं. 41

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की घारा 194 की उपधारा (9) के प्रधीन स्वना

महोदय/महोवया,

- जहां बोर्ड के ध्यान में यह बात लाई गई है कि,--
- (क) ग्रापके स्वामित्व/दखल में की भूमि में सीमा दीवार/झाड़वन्दी बाड़ ग्रनुपयुक्त/यसुन्दर/ग्राक्षेप योग्य है :
- *ख) ग्रापके स्वामिल्व/दखल में की मूमि पर मीचे विमिष्टिः सामगो वर्णन ग्राकार की सीमा यीवार/जात्रबन्दी/वाड़ का संगिर्माण करना ग्रावम्यक है।
- *ग) क्रापके स्वाडित्व/दखल में की · · · · · · · जूमि पर ,सौमा दीवार/क्षाड्यन्दी/बाड़ को अच्छी हासत में बनाए रखना ग्रावण्यकहूँ।

NOT STAT

छावनी कोर्ड कार्यालय संo तारीख

The tot

+---

साग 11---खण्ड 4]

भारत का राजपल : नवम्बर 8, 1986 कातिक 17, 1908

ग्रतः । 1.11 1.1.1 गसी ग्रधिकारी, की हैसियत से, छावनी ग्रधिनियम, 1924 की धारा 194 की उपघारा (2) के अनुसरण में, आपको सूचित करता हूं कि रस सूचन। की प्राप्ति के ... दिनों के ग्रन्दर.....

*(क) पूर्वोक्त भूमि पर सीमा दीवार/झाडवन्दी/वाड हटा दी जाए *(ख) पूर्वोक्त भूमि पर नीचे विनिर्दिष्ट सामग्री, वर्णन/ग्राकार की सीमा दीवार/झाड़वन्दी/बाड़ का सनिर्माण किया जाए। ******************************

(यहां सामग्री, वर्णन या आकार के बारे में विनिर्देश दें)।

*(ग) पूर्वोक्त भूमि पर सीमा दीवार/झाड़बन्दी/बाड़ को ग्रच्टी हालत में बनाए रखा जाए।

भवदीय

ग्रधिणासी ग्रधिकारी, छावनी बोर्ड (वोर्ड की मुद्रा)

षावनी वोर्ड कार्यालय *************

तारीख

टिप्पणी : जो भी सामग्री आवश्यक न हो उसे काट दें।

प्ररूप सं. 42

ज्ञावनी ग्राधनियम, 1924 (1924 का 2) की धार। 195 की उपधारा (1) के अधीन सूचना

महोदय/महोदया,

बोर्ड की राय है कि, ग्रापके स्वामित्व/दखल में की भूमि पर खड़े वृक्ष ऋवृक्षों) को कारण में गिराना/छांटना/शाखाओं का कतरना श्रायश्यक है,

ग्रतः यव में,छावनी बोर्ड के एधिशासी ग्राधिकारी, की हैसियत से, छावनी ग्राधनियम, 1924 (1924 का 2) की वारा 195 की उपधार। (1) उपधार। (2) के ग्रनुसरण में, इरापको सूचना देताँ किं, इस सूचना की प्राप्ति के दिन के ग्रन्दर ग्रापकीभूमि पर खड़े वृक्ष (वृक्षों) को गिरा दिया/छाट दिया/णाखाओं को कतर दिया जाना चाहिए।

भवदीय 📳

मधिगासी कधिकारी,] छावनी बोर्ड (बोर्ड की मुदा)

छावनी बोर्ड कार्यालय

Ħ.....

नारीख

. ज़हूब में. 43

छावनी श्रधिनियम 1924 (1924 का 20) की धारा 197 के इधीन सूचन

1014 GL/86-13

1 . M. 1 Sel.

महोदय/महोदया,

वोर्ड की राय में, आपके स्वामित्व/दखल में की स्थित खदान का खनन/पत्थर/मिट्टी का हटाया जाना

(यहां मुदा से हटाई जाने वाली श्रन्य सामग्री ायनिदिष्ट करें) पड़ौस में निवासी/जाने वाले प्रयक्तियों के लिए खितरनाक है/न्यूसेंस है/ न्यूसेंस हो जाना संभाव्य है :

छतः ग्रब मैं.....छावनी बोर्ड के अधिणासी अधिकारी की हैसियत से, आपको सूचना देता हूं कि, आपके स्वामित्व/दखल में की स्थित भूमि में खतरे का निवारण करने/पैदा हुए न्यूसेंस/संभाव्यतः पैदा हो जाने वाले न्यूसेंस को दूर करने के लिए आपके द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए :---

(यहां उठाए जाने वाले कदमों को यहां विनिदिष्ट करें)

भवदीय छ धिणासी ग्रधिका री. छावनी बोर्ड (बोर्ड की मुद्रा)

छावनी बोर्ड कार्यालय

सं.....

तारीख

प्ररूप सं. 44

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की घारा 212 के अधीन सूचना

महोदय/महोदया,

बोर्ड का यह समाधान हो गया है कि, बोर्ड द्वारा मंजूरी की गई अन्जप्ति के ग्रधीन लिए ता रहे रत नित्र/दबल में कानामक स्थान न्यू में स है/से यह संभाव्यतः है कि वह जीवन/स्वास्थ्य/सम्पत्ति के लिए खतरा हो जाएगा।

ग्रातः मेंछावनी बोर्ड के ग्राधिशासी ग्रधिकारी की हैसियत से छावनी ग्रांधनियम, 1924 की धारा 212 के अनुसरण में आपको सूचना देता हूं कि पूर्वोक्त स्थान का उपयोगसेतारीख से बन्द कर दें गैइसे किसी न्यू सेंस खतरे से मुक्त करने के लिए उसमें निम्नलिखित परिवर्तन/रुभि-वृत्तियां/ सधार करें।

(यहां किए जाने वाले परिवर्तनों, अभिवृत्तियों और सुधार के व्यौरे हें)।

> भववीय इ.धिगासी इाधिकारी, छावनी बोर्ड (वोर्ड की मुद्रा)

> > h . (2) (1)

112" MT-7"

छावनी बोर्ड कार्यालय तारीख.

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 8, 1986/KARTIKA 17, 1908 [Part 11-Sec. 4]

10

जवना ग्रधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 219 के खण्ड के ग्रधीन सूचना

महोदय/महोदया,

502

धापके स्वामित्व/नियंत्रण के झधीन स्थित लोक जल प्रदाय के स्रोत, ग्रर्थातजिगका पानी पीने के प्रयोजनों के काम में द्राता है---(कुएं ग्रादि का नाम)

- *(क) में से गाद/कचरा/सड़ी गली पत्तियां ग्रच्छी हालत में नहीं हैं/ खांदि की सफाई नहीं की गई है,
- *(ख) को नीचे विनिर्दिष्ट रीति से उसे संटूपण से बचाए रखा जाना चाहिए,
- *(ग) का पानी पीने के प्रयोजन के लिए ग्रन्तुपयुक्त है,

अतः मैं छावनी बोर्ड के अधिशासी अधि-कारी की हैसियत से, छावनी ग्रधिनियम, 1924 की धारा 219 के अनुसरण में, आपको सूचना देता हूं कि, इस अधिसूचना की प्राप्ति के दिन के ग्रन्दर

- * (क) पूर्वोक्त कुंग्रा/जल प्रदाय का हालत में बनाए रखें/में से गाद. कचरा/सड़ी गली पत्तियों की साफ करें.।
- * (ख) पूर्वींगत कुंग्रा/जल प्रदाय को प्रदूषित होने से ऐसी रीति से बचाए रखें जो नीचे विनिर्दिष्ट की गई हैं :--

(प्रदूषण से बचाए रखने के लिए अपनाई जाने वाली रीति यहां विनिद्रिष्ट करें) ।

*(ग) लोक साधारण का उस कुंए/जल प्रदाय तक पहुंच/के पानी का उपयोग निवारित करने के लिए नीचे विनिदिष्ट रीति में उपाय करें।

(यहां निवारित कर की रीति विरिविष्ट करें) !

भवदीय

अधिगासी अधिकारी, छावनी बोर्ड (बोर्ट की मुद्रा)

छावनी वोर्ड कार्यालय

सं...... तारीख.

प्ररूप सं. 46

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 221 के अधीन सचना

महोदय/महोदया,

यह प्रतीत होता है कि, आपके स्वामित्व/दखल में की इमारत/भूमि में शुद्ध जल का समुचित प्रदान नहीं है,

हैसियत से, छावनी अधिनियम, 1924 की घारा 221 के अनुसरण

· ·· /· · Fals

	इमारत/सूमि में नीचे संचार पाइपों से उक्त भवन के दखल-
कार व्यक्तियों (····· की ग्रावण्यक के) उक्त भूमि में नियोजित व्यक्तियों
	(यहां लोक जल प्रदाय का स्रोत)
विनिदिष्ट करें)।	

व्यवस्था की जानी चाहिए।

(यहां संचार पाइपों के आकार और किस्मों की विशिष्टियां विनि-दिष्ट करें) ।

> भवदीय अधिशासी अधिकारी, छावनी 'वोर्ड, (बोर्ड की मुद्रा)

छावनी बोर्ड कार्यालय सं

तारीख

प्ररूप सं. 47

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 224 के खण्ड (क) के ग्रधीन' सूचना

सेवा में,

.....छावनी बोर्ड

में, भूमि/भवन का स्वामी/दखलकार, ग्रापको सूचना देता हूं कि, पाइपों/नालों की मरम्मत न करने के कारण उक्त भूमि/भवन में जल को बरबादी हो रही है।

कृपया इस ओर ध्यान दें।

भर	वर	री	य	÷	
हस्ताकर					÷

										12	
नाम '	1	•	1	•	•	1	1		. +	-	
पता .	•	+	-			1	•			100	

स्थानः

तारीखः

टिप्पणी : *ग्रधिकारी का पदनाम

प्ररूप सं. 48

छावनी ग्रधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 224 के खण्ड (ग) के ग्रधीन सूचना

महोदय/महोवया,

ग्रापने,---

- (क) प्रपने स्वामित्व/दखल के प्रधीन भूमि/ इमारत की बाब्त जलकर/*: · · · · · · · · · प्रभारों का ग्रदा करने में अपेक्षा की है, और ग्रापको बिझ
 - 13191

(भाग 11-- खण्ड 4)

दिए जाने की तारीख सेदन से अधिक की अवधि दी गई हैं,

- (ख) बीर्ड के अधोहस्ताक्षरी अधिकारी/कर्म-चारी को छावनी अधिनियम, 1924 की घारा 224 के खण्ड (ख) के अधोन यथा प्राधिकृत परीक्षा/जांच करने के प्रयो जन के लिए तारीख का अपने स्वाः मिल्व/दखल के अधीन भूमि पर/ इमारत में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी है/ निवारित किया,
- (ग) अपने स्वामित्व/दखल के अधीन भूमि/ इमारत में जानवूझकर/उपेक्षा से जल का दुष्प्पयोग/अपव्यय किया के

*प्रभारों की किस्म विनिदिष्ट करें।

- (घ) अपने स्वामित्व/दखल के अधीन भूमि/ इमारत में जल संकर्म से जल प्रवाहित करने वाले मीटर/ पाइप/टोंटी को जानबूझकर/उपेक्षा से क्षतिग्रस्त किया है/ नकसान पहुंचाया है,
- (ड) ग्रापके स्वामित्व/दखल के ग्रधीन भूमि/ इमारत को जल प्रदाय का कनेक्शन जिन नलों, टोंटियों, फिटिंगों से है, इतने बेमरम्मत हैं कि उसके कारण जल की बरबादी हो रही है।

प्रतः में, छावनी बोर्ड के यधि-शासी अधिकारी, की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 1924 की घारा 224 के खण्ड (ग) के अनुसरण में आपको सूचना देता हूं कि, इस सूचना की प्राप्ति के दिन की यबधि के अन्दर पूर्वीक्त भूमि/इमारत के जल प्रदाय को बन्द कर दिया जाएगा/ काट दिया जाएगा।

> भवदीय, अधिशासी अधिकारी, छावनी वोर्ड, (बोर्ड की मुद्रा)

छावनी बोडं कार्यालय स

तारीख

प्ररूप स. 49

छावनी अधिनियम, 1924(1924 का 2)की धारा 244 के अधीन सूचना

महोदय/महोदया,

बोर्ड ने, नोचे सारणी मे विनिदिष्ट कार्य को (जिसे इसमे इसक परचात्, उक्त कार्य कहा गया है) अपने हाथ में ले लिया है, ग्रौर उक्त प्रयोजन के लिए बोर्ड की ग्रोर से उक्त कार्य को कर रहे प्रधिकारियों कर्मचारिवृत्त्व स्नोर कर्मकारों के लिए, ग्रापकी भूमि यहां सामग्री की प्रवृत्ति विनिदिष्ट करें, ग्रथांत् मिट्टी, वजरी ग्रादि जमा करने के लिए उक्त संवर्ग तक पहुंचने के लिए/

के लिए

(यहा कोई यन्य प्रयोजन विनिद्धि करें)

प्रवेश करना सावश्यक है,

- and the

यतः में, छावनी बोर्ड के अधि मासी मविकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 1924 की घारा 244 के अनुसरण में, आपको सूचना देता हूं कि, बोर्ड के अधिकारी कर्मचारिवृत्द और कर्मकार पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए, तारीख 19

(यहां तारीख विनिदिष्ट करें जो प्रस्तावित प्रविष्टि से तीन दिन से पूर्वोत्तर न हो)।

को, आपकी भूमि में प्रवेश करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्वामित्व/दखल के अधीन पूर्वोक्त भूमि के

(यहां क्षेत्र का उल्लेख करें)

भाग में बाड़ लगा लें जिससे कि बोर्ड के ग्रधिकारी, कर्मचारीवृन्द, और कर्मकारों के उक्त कार्य का निष्पादन करने में समय ही सर्वे।

> भवदीय, त्रधिणासी ुमबिकारी, छावनी बोर्ड, (बोर्ड की मुद्रा)

छावनी बोर्ड कार्यालय) सं

तारीख

टिप्पणी : ---जा सामग्री ग्रावश्यक न हो उसे काट द !

New Delhi, the 17th October, 1986

S.R.O. 330.—Whereas draft of rules which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (m) of sub-section (2) of section 280 of the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924), relating to forms of notices and the manner of their service, was published with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence S.R.O. 235, dated 23rd June, 1986 in the Gazette of India, Part II, Section 4, dated 26th July, 1986 faviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of sixty days from the date of publication of the said Notification;

Whereas the aforesaid Gazette was made available to the public on 6-8-1986;

And whereas the objection received has been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules relating to forms of notices and the manner of their service :---

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Cantonments (Forms and Manner of Service of Notices) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.-(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Act" means the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924);
- (b) "Form" means the Form annexed to these rules.

M

1. (y 10)

503

[PART II-SEC. 4]

(2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Form of Notices.—All notices required to be served on any person under the Act shall be in the Forms annexed to these rules.

4. Manner of Service of notices.-Every notice issued under the Act to any person shall be served or presented—

- (a) by giving or tendering the notice or sending it by post, to such person;
- (b) if such person cannot be found, by affixing the notice on some conspicuous part of his last known place of abode or business, if within the Cantonment, or by giving or tendering the notice to some adult male member or servant of his family or by causing it to be fixed on some conspicuous part of the building or land, if any, to which it relates.

5. Application of provisions of section 252 to 256A.—The provisions of sections 252 to 256A of the Act shall apply to every notice issued under these rules.

[File No. P|C 12|6|C|L&C|82|4208|D(Q&C)]

KARTAR SINGH, Under Secy.

FORM NO. 1

Public notice under section 68 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)

Whereas the notice on preparation of assessment list as required under section 67 having been duly given on......it is hereby (date)

notified as required under section 68 of the Cantonments Act, 1924 that the Assessment Committee will commence hearing of objections from.....

(date)

There should be at least thirty days gap between the date of publication of notice and date of hearing).

This notice is being displayed at the following prominent places as required under section 255 of the Cantonments Act, 1924.

(Authority : C.B. Res. No.....). dated.....). 1.

- 2. 3. 4.
- 5.

6.

Office of the Cantonment Board.

No.....

Date

Executive Officer.Cantonment Board. Seal of the Board

- a 1. - The la

FORM NO. 2

Individual notice under section 68 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)

To,

Subject :- Revision of Assessment list -- Reg.

Sir Madam,

2. If you have any objection to the above assessment you should make the same in writing before stating in what res-

(date) pect the assessment is disputed.

Yours sincerely,

William .

Executive Officer.

Board

Office of the Cantt. Board

No....

Dated.....

Details of assessment valuation :

1.											
2.											

3.

FORM 3

Notice under sub-section (1A) of section 71 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)

To,

Sir Madam.

Whereas it has become necessary to amend the assessment list in the following manner and on the grounds specified below :---

NOP 119

(c) by inserting omitting the property known as

(d) on re-value reassessment the value of the property known as......has increased since the last assessment;

(e) by changing the name of the occupier in respect of property known as....; where the tax is payable by the occupier;

No.....

Dated.....

Yours sincerely, Executive Officer. ..Cantonment Board. Seal of the Board

FORM No. 4

Notice under section 74 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)

To,

The Executive Officer,

Sir Madam,

Yours sincerely,

Signature..... Name..... Address

FORM NO. 5

Notice under section 77A of the Cantonments Act. 1924 (2 of 1924).

TO

Ty ile

.....

Subject :---Notice of vacancy of property known as

Sir Madam,

I We hereby give notice under section 77A of the Cantonments Act, 1924 that the property \div

••••••

Yours sincerely

Signature

Name

Address

Dated :

Here mention the particulars of the vacant portion of property.

FORM NO. 6

Notice under section 79 of the Cantonments Act, 1924. (2 of 1924)

To

The Executive Officer,

......Cantonment

.......

Sub : Reoccupation of the property known as...

Sir,

I We hereby give notice under sub-section (1) of section 79 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) that the property

above has been reoccupied with effect from the day of

Date....

Yours sincerely,

Signature

Name

FORM NO. 7

Notice under sub-section (3) of section 82 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924).

TO

Sir|Madam, Whereas the following goods|vehicle (s)|animals (s)

listed	below	were	seized	from	you	on	the	•.		
	lay of			19				•	for	non-

More system

payment of Octroi Terminal tax Toll amounting to Rs.... payable by you;

Take further notice that in addition to the amount of Rs \dots any expenses occasioned by seizure, custody and sale of the said goods vehicle (s) animal (s) shall also be recoverable from you unless the said amount and expenses.

FORM NO. 7 (CONTINUED)

are paid by you before the commencement of sale by auction.

Yours sincerely, Executive Officer,

..... Cantonment Board.

Office of the Cantonment Board,

No......

(Seal of the Board)

FORM No. 7 (CONTINUED)

List of goods vehicle (s) animal (s)

1.

506

3. 4.

FORM NO. 8

Notice under sub-section (1) of section 103 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924).

TO

.....

Sir Madam,

diff.

punishment with fine which may extend to Rs. 500 under sub-section (2) of section 103 of the said A and the tax liability the amount to be assessed t annual value of the building land will be decided the Board may deem proper. The assessment so may shall be final.

> Yours sincere Executive OfficeCantonment Boar

Office of the Cantt. Board, No.

Dated.....

(Seal of the Board).

Information furnished under section 103 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924).

1. House No. Road and locality.

2. Name and address of the owner.

3. Date of inheritence purchase.

4. Price paid for the property.

5. (a) Whether Kutcha or pucca.

(b) Covered area.

(b) Covered area.

6. Number of Storeys.

7. Number of room of every description in eac storey, with dimensions including stores, kitchen bathrooms.

8. (a) Whether used for residential or commerci purposes.

(b) Is the building used for running a hotel, colleg school, hospital or factory. If so, please give fu particulars.

9. If any portion (s) has been let out, the name (s) of tenants, the accommodation let out to each an the monthly rent.

10. Whether the house is :---

(a) Electrified.

(b) Has a domestic water connection.

(c) Sanitary latrines.

11. Is the house assessed for State Government property tax and if so what is the assessment fixed b the Excise and Taxation Officer and the date fror which it is effective.

Singnature of owner occupier tenan

FORM NO. 9

Notice under sub-section (1) of section 121 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924).

M¹ T 9 10⁻¹

TO

Sir Madam,	same may be collected from the office of the Board
Whereas by public Notice dated	within **days.
was directed by the Board that the roofs and xternal walls of huts buildings shall not, without the	Your sincerely,
permission in writing of the Board, be made or renew-	Executive Officer
d of grass, mats, leaves or other inflammable mate-	Cantonment Board
he Cantonment; and	(Seal of the Board)
Whereas you have renewed the roof wall (s) of your	Office of the Cantonment Board.
hut/building with grass/mats/leaves inflamable mate- fal, without the permission from the Board in writing:	No
	Dated
Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 121 of the Cantonment Act, 1924, I as the	(*Strike out the matter whichever is not necessary.)
Executive Officer of theCantonment	**Here give the reasonable period for compliance).
Board, hereby give you notice that the roofs walls of your hut building be removed within 15 days from	
the date of receipt of this notice.	FORM NO. 11
Yours sincerely,	Notice under section 126 of the Cantonments Act,
Executive Officer	1924 (2 of 1924)
Cantonment Board	To,
	_ ·
No	
Dated	
FORM NO. 10	Sir Madam,
Notice under sub-section (2) of section 121 of the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924) To,	Whereas in the opinion of the Cantonment Board building wall well tank reservoir pool depression excavation'bank tree *(described in the Table attached herewith) owned partly owned by you is in ruinous state and is a nuisance dangerous to persons passerby dwelling working in the neighbourhood**;
	Now, therefore, in pursuance of section 126 of
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	the Cantonments Act, 1924, I, as the Executive
	Officer of the
	removed repaired protected within day
	from the date of receipt of this notice, failing which the said work shall be undertaken by the Canton
Sir Madam,	ment Board at your risk and cost.
Whereas the external *walls roof(s) of your *hut building is made of grass mats leaves	Your sincerely
inflamable material *with without the sanction of the	Executive Office
Board ;	
And whereas the Board is of the opinion that the external walls roof(s) of your hut building should be	Office of the Cantonment Board,
removed being made of an inflamable material;	No
Now, therefore, in pursuance of the Cantonments Act, 1924, I, as the Executive Officer of the	
Cantonment Board, hereby give you	Dated
notice that the external walls roof(s) of your hut building be removed within ** days	*In case of tenant the word 'your' shall be deleter
from the date of receipt of this notice.	**Strike out whichever is not applicable

You are, further informed that the compensation of Rs......towards the original cost of the said material has been awarded to you and the

in the do A.h.

**Strike out whichever is not applicable.

***Herein specify the action required on part of owner/tenant.

MI

FORM NO. 12

Notice under section 127 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)

To.

Sir Madam,

Whereas it is noticed that your building No..... vacant plot No..... has by reason of disuse disputed ownership has remained unoccupied and has become the resort of idle and disorderly person persons who have no ostensible means of subsistence persons who cannot give a satisfactory account of themselves is used for gaining immoral purpoes or for*.....

(other purpose)

and or is likely to occasion a nuisance.**

Now, therefore, in pursuance of section 127 of the Cantonments Act, 1924, I, as the Executive Officer of the Cantonment Board, hereby give you notice to secure and enclose said building No.....vacant plot No..... withindays of the receipt of this notice.

Authority : CBR No......dated

Your sincerely. Executive Officer Cantonment Board.

Office of the Cantonment Board.

No.....

Dated

(Seal of the Board)

*Herein specify the other purpose. **Strike out whichever is not applicable.

FORM NO.13

Notice under clause (a) of section 133 of the Cantonments Act 1924 (2 of 1924)

To.

Sir Madam.

41° 24

Whereas it is noticed that

- *(1) a cesspool in your building land is causing nuisance and it needs closing;
- *(2) the receptacle to filth in your building land.....is not kept in a clean condition/sweage is accumulating on your land building £ A Artes
- *(3) the following soaking draining water of private latrine|urinal|sink|bathroom or any other offensive matter on your land building £is causing a nui-

sance to the neighbours and persons passing by;

*(4) rubbish or offensive matter has been allowed to accumulate or remain under it on your building land £

Now, therefore, in pursuance of sub-clause + ments Act, 1924, I, as the Executive Officer of theCantonment Board, hereby give you notice to close the cesspool to keep the receptacle clean to rectify accumulation of sewage to stop the flow of the daily waste water on the public land or provide a pucca cesspool to remove the rubbish to provide proper covering repair clean within £.....days of receipt of this notice.

> Yours sincerely, Executive Officer, .Cantonment Board (Seal of the Board)

Office of the Cantonment Board,

No.....

Date

Note : *Strike out whichever is not necessary, \pounds -Fill in the particulars of the building or land. † Here mention the respective subclause of clause (a) of section 133.

FORM NO.14

Notice under clause (b) clause (c) of section 133 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)

To,

Sir Madam

Whereas it is noticed that.....

- *(1) making or altering any drain in your buildingland @....leading into a public drain should be stopped ;
- *(2) the drain in your control is not clean requires repair to be altered to put in good order :

Now, therefore, in pursuance of clause *(b) clause *(c) of section 133 of the Cantonments Act, 1924, I, as the Executive Officer of the Cantonment Board, hereby give you notice to stop from making or altering the said drain leading into a public drain* to cleanse purify repair alter put in good order the same within days of receipt of this notice.

Yours s	incerely.
Executive	Officer,
 Cantonment	Board.

- 4 15 S

Office of the Cantonment Board.

. .

No.....

Dated.....

(Seal of the Board) Note :-- @Fill in the particulars of the building or land. *Strike out whichever is not necessary.

A CARACTER STOR

भारत का राजपतः नवम्बर 8, 1986/कार्तिक 17, 1908 (भाग II--खण्ड 4] 509 FORM NO. 15 Notice under sub-section (1) of section 134 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) Yours sincerely, To, Executive Officer, Cantonment Board. Office of the Cantonment Board. (Seal of the Board . No..... Sir Madam, Dated..... Whereas in the opinion of the Health Officer Assistant Health Officer,Canton-FORM NO. 17 ment Board, the well tank reservior cistern receptacle Notice under section 136 of the Cantonments Act, water is stored accumulating is creating nuisance and 1924 (2 of 1924) likely to be a breeding place for mosquitoes. To, Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 134 of the Cantonments Act, 1924, I, as The Executive Officer, the Executive Officer of the Cantonment Board, Cantonment Board, hereby give you notice to fill up cover the well tank reservoir cistern receptacle within days of the receipt of this, Sir Madam, notice. I, as an employer of the Yours sincerely, Executive Officer, (here specify the name of the establishment) .Cantonment Board. hereby give you notice under section 136 of the (Seal of the Board) Office of the Cantonment Board. No.....located at..... Date (name of the establishment) FORM NO. 16 in the......Cantonment. Notice under section 135 of the Cantonments Act, Your sincerely, 1924 (2 of 1924) Signature Name To, Place : Date : FORM NO. 18 Notice under section 137 of the Cantonments Ard Sir Madam, 1924 (2 of 1924) Where it has been noticed that the land building To, house known as owned occupied by your requires to be provided with latrine urinal cess-pool|dustbin|receptacle for f.lth, sewage or rubbish additional latrine|urinal|cesspool|receptacle;

Now, therefore, in pursuance of section 135 of the Cantonments Act, 1924, I. as the Executive Officer of the.....Cantonment Board, hereby gives you notice that the.....

(here specify the requirement as to latrine|urinal' cesspoll etc.)

and building house owned occupied by you as per the specifications mentioned below :---

(here specify the maner in which the latrine urine' cesspool etc. be provided for).

nat de

1014 G1/86-4

Sir|Madam, Whereas it is noticed that :---

- *(1) the private latrinelurinal owned by you under your control shall not hereafter be put to public use;
- *(2) the private latrine urinal proposed to be constructed repaired by you shall not be constructed repaired, unless it has been ins-

*the private latrine urinal repaired constructed by you shall not be put to use,

pected by the Health Officer and certified that the said latrine urinal is inconformity

nin i k Turi Mirini i yangiri

S office

hill

[PART 11-SEC. 4]

- *(3) the private latrine urinal owned by you under your control is causing public nuisance;
- *(4) the latrine owned controlled by you,-
 - (a) is open to view of persons passing by dwellings in the neighbourhood;
 - (b) needs cleansing in the manner specified below :---

(Here specify the manner in which the cleansing required to be done);

*(5) the drain owned controlled by you is uncovered and requires to be covered in the manner specified below :—

(Here specify the manner of covering required)

> Yours sincerely, Executive Officer, Cantonment Board (Seal of the Board)

Office of the Cantonment Board,

Nc.....

Date.....

Note : *Strike out the matter whichever is not necessary.

£Here specify the clause.

@Fill in the particulars of the builing or land.

FORM NO. 19

Notice under sub-section (3) of section 138 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)

To,

a second a second second second

ante.

Sir|Madam,

Whereas on the basis of the report of the Committee constituted under sub-section (1) of section 138 of the Cantonments Act, 1924, the..... Cantonment Board is of the opinion that the building(s)indicated in the Table below is are likely to cause risk of disease to the inhabitants of the building(s) neighbourhood endanger the public health ;

And whereas the Board is satisfied that it is necessary to remove the said building(s) immediately;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 138 of the Cantonments Act, 1924, I, as the Executive Officer of the......Cantonment Board, hereby give you notice that the said building(s) to removed within.....

days of the receipt of this notice.

Office of the Cantonment Board,

No.....

Date

Yours sincerely, Executive Office.Cantonment Board (Seal of the Board)

TABLE

(Here give the particulars of the duilding(s) in question

FORM NO.20

Notice under sub-section (1) of section 139 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)

To,

Sir|Madam,

Whereas in the opinion of the Board, building(s)or part thereof...... used as dwelling house is overcrowded and endangering the health of the occupants thereof;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 139 of the Cantonments Act, 1924, I, as the Executive Officer of the..... Cantonment Board hereby give you notice to reduce the number of lodgers|tenants|other inmates by *.....and abate the overcrowding in the said building(s). Failing to comply with the above requisition, you will be liable to prosecution under sub-section (2) of section 139 of the said Act.

Office of the Cantonment Board,

Date

Yours sincerely, Executive Officer. ...Cantonment Board (Seal of the Board)

*Hereafter specify the details of lodgers|tenants|other persons whose number is to be reduced.

More and

Notice under section 140 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)

To,

Sir Madam,

Whereas in the opinion of the Board the building(s) owned or occupied by you situated at is in a state of disrepair|dilapidated| in an insanitary state and required to be repaired| altered as specified below :---

1. 2. 3.

Office of the Cantonment Board,

No.....

Dated

Yours sincerely, Executive Officer,Cantonment Board (Seal of the Board)

FORM NO. 22

Notice under sub-section (1) of section 141 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) / To,

......

Sir Madam,

Whereas the land/building.....owned/occupied by you

*is in a sanitary filthy unwholesome state,

*is a nuisance to persons in the neighbourhood,

*is overgrown with prickly-pear rank noisome vegetation;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 141 of the Cantonments Act, 1924, I, as the Executive Officer of the..... Cantonment Board, hereby give you notice that the said land building(s)....owned occupied by you should be cleansed lime-washed

and the

Office of the Cantonment Board.

No.....

Yours sincerely, Executive Officer,Cantonment Boom (Seal of the Board)

Note : *Strike out the matter whichever is not necessary.

FORM NO. 23

Notice under section 148 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)

NOTICE

Every owner or occupier of this building is hereby give notice that the entire part.....of the building is unfit for human habitation and he is therefore prohibited to use the same until it has been rendered fit for such use to the satisfaction of

......Cantonment Board.

Office of the Cantonment Board,

No....

dated

Executive Officer,Cantonment Board (Seal of the Board)

FORM NO 24

Notice under section 143 of the Cantonments Act, 1924, (2 of 1924)

To,

·····

Sir Madam,

It is noticed that noxious vegetation undergrowth has come up in the land the building...... owned or occupied by you is injurious to health offensive to the persons residing in the neighbourhood;

Office of the Cantonment Board,

No.....Dated.....

Yours sincerelv, Executive Officer.Cantonment Board (Seal of the Board)

NUT STOR

FORM NO. 25

fotice under section 145 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)

Το,

Sir|Madam,

Whereas it is necessary to have the following information in respect of.....burial ourning ground owned by you of which you are incharge with regard to the condition, management position of such ground.

(Herein specify the information required)

Now, therefore, in pursuance of section 145 c the Cantonments Act, 1924, I, as the Executive Officer of the......Cantonment Boara hereby call upon you to furnish the necessary information as required above in respect of....... burial/burning ground within......days of the receipt of this Notice.

Office of the Cantonment Board,

No......

Dated.....

Yours sincerely, Executive Officer,Cantonment Board (Seal of the Board)

FORM NO. 26

Notice under section 152 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)

TO

.

Sir Madam,

Whereas it has been certified by

(Name)

Medical practioner, that the outbreak spread of infectious contagious disease in the (name of the deceased)

Cantonment is attributable to the milk supplied by you;

Now, therefore, in puruance of section 152 of the Cantonments Act, 1924, I, as the Executive Officer of the Cantonment Board, hereby give you notice to furnish a full and complete list of the names and addresses of all your customers and furnish all such information to enable me to trace the persons to whom you have sold milk within days of the receipt of this Notice.

> Yours sincerely, Executive Officer Cantonment Board. (Seal of the Board)

Office of the Cantt. Board

a ar se

FORM NO. 27

Notice under section 153 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)

To,

Sir Madam,

sary to have the information regarding customers;

> Yours sincerely, Executive OfficerCantonment Board.

Office of the Cantonment Board

No.

Dated

FORM NO. 28

Notice under section 155 of the Cantonment Act,, 1924 (2 of 1924)

To,

Sir Madam,

notice no.-

Whereas it has been reported by the Health Officer that the infectious or congatious disease is caused likely to arise in the Cantonment,.....

*(a) from the consumption of the milk supplied from your dairy

- (b) washing of clothes or other atricles by you process employed by you for washing of clothes or articles at......;
 - (name of the place)

*(a) milk should be supplied to any person from your dairy

M

h (1) 4

.......

भारत का राजपत : नवम्बर 8, 1986/कार्तिक 17, 1908

FORM NO. 30

Notice under sub-section (1) of section 162 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)

To,

Sir Madam,

Whereas in the opinion of the Board, the destruction of shed hut and the materials thereof owned by you at, is necessary to prevent the spread ofinfectious contagious disease ;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 162 of the Cantonments Act, 1924, I, as the Executive Officer of the Cantonment Board hereby give you notice to destroy the aforesaid shed|hut and the materials thereof within.....days of the receipt of this Notice.

Yours sincerely, Executive Officer Cantonment Board

Office of the Cantt. Board

(Seal of the Board)

No.....

D'ated.....

FORM NO. 31

Notice under sub-section (2) of section 162 o fthe Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)

To,

Sir Madam,

Whereas, as the President of the Board, I am satisfied that the destructions of shed|hut at*owned occupied by you is immediately eas :

Now, therefore, in pursuance of sub-section (2) of section 162 of the Cantonments Act, 1924, I, as the *owned occupied by you shall be destroyed immedia-tely. In case of your failure to destroy the said shet hut, it wil be destroyed by the Board within**....hours of the receipt of this Notice.

> Yours sincerely, President

.....Cantonment Board

More More

(Seal of the Board)

712

No. Dated

(*Strike whichever matter is not necessary.

**Here mention the period not less than two hours).

(name of the place)

נאויו דד--מאים או

Yours sincerely, Executive OfficerCantonment Bcard (Seal of the Board)

Office of the Cantonment Board

No.

Dated

Note : Strike out the matter whichever is not necessary.

*(b) washing of clothes|articles|any process for washing clothes|article should be undertaken,

by you in the manner

at used by you for this purpose.

FORM NO. 29

Notice under Section 161 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)

To,

Sir Madam.

Whereas the Board is of the opinion that cleansing and disinfection of your building part of a building removal of the flooing of the building articles in the buildings, is necessary to prevent|cheek spread of infectious|contagious disease;

Now, therefore, in pursuance of Section 161 of the Cantonments Act 1924, I, as the Executive Officer of the Cantonment Board hereby give you notice to cleanse disinfect the building part of a building removal of the flooring articles in the building as specified below, within a period of

..... days of the receipt of this Notice.

(Herein specify the details)

Yours sincerely Executive Officer,Cantonment Board (Seal of the Board)

Office of the Cantonment Board

a. - State

Dated

Office of the Cantonment Board

FORM NO. 32	*(b) to remove the corpse for the purpose of be
Notice under clause (b) of sub-section (1) of sction 169 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)	ing burried *burnt *conveyed to a mortuar at
To,	Yours sincerely
	Executive Office
	(Seal of the Board)
*******	Office of the Cantonment
Sir Madam,	Board.
Whereas the Board is of the opinion that the water	No
in well tank owned by you under	Dated
(other place) your control at, if used for drinking, will endanger cause the spread of	Note : *Strike out the matter whichever is not necessary.
disease.	FORM NO. 34
Now, therefore, in pursuance of clause (b) of sub- section, (1) of section 169 of the Cantonments Act,	Notice under sub-section (1) of section 175 of the Cantoninents Act 1924 (2 of 1924).
1924 (2 of 1924), I, as the Executive Officer of the Cantonment Board,	To,
hereby give you notice to adopt the following measures to prevent the publicuse the	
water from the said well tank	
(other place)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
from the date of receipt of this Notice.	Sir Madam,
(Here mention the measures to be under taken).	Whereas there are sufficient reasons to believe the
(1)	you are suffering from an infectious contagious disase ;
(2)	Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) (
(3)	section 175 of the Cantonments Act, 1924, I, as th
Yours sincerely, Executice Officer,	Medical Officer Medical Officer-in-Charge of the ,
Cantonment Board	
(Seal of the Board)	you notice to present yourself for a medical examination at
Office of the Cantonment	on
Board,	(Date)
No	not leave the hospital dispensary without the permission of the Medical Officer-in-Charge.
Dated Note : Strike out the matter whichever is not ap-	Yours sincerel
plicable.	Executive Office
	Cantonraent Boar
FORM NO. 33 Notice under section 170 of the Cantonments Act,	(Seal of the Board
1924 (2 of 1924).	Office of the Cantonment Board,
To,	No
	Date
	FORM NO. 35
Sir!Madam,	Notice under section 183-B of the Cantonments Ac 1924 (2 of 1924).
Whereas it has been reported that	To,
has died from infections contagious disease.	The Executive Officer
Now, therefore, in pursuance of clause (a) clause	Cantonment Board,
(b) of Section 170 of the Cantonments Act, 1924, I,	
as the Executive Officer of the	
* (a) to convey the same to a mortuary at	In pursuance of section 183-B of the Cantonmen Act, 1924, this is to inform you that I we have cor
and the second sec	pleted erection re-erection of the building known
- diffe	
	1
	Ministration of the second sec

(भाग II--खण्ड 4]

भारत का राजपत्न . नवम्बर 8, 1986/कार्तिक 17, 1908

.....lyour No. dated

This may please be noted.

Yours sincerely,

Signature Name.....

Address.....

Place

FORM NO. 36

Notice under sub-section (2) of section 185 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924).

To,

Sir Madam,

Whereas it is considered that the erection re-erection of the building, specified in the Schedule below (hereinafter referred to as the said building), *owned! "occupied!*taken on lease by you, constitute an off-ence under section 184 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 185 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), I, as the Executive Officer of the Cantonment Board, hereby give you notice that the *crection |*re-erection of the said building should be *stopped the *erection *rc-erection completed by you should be *demolished and the said building should be re-erected in the manner specified in column (4) of the said Schedule.

"Strike out whichever is not necessary.

SCHEDULE

Name of the building-	Location of the builditg	Details of con- struction as undertaken by onewr/occupier/ lessee in con-	Specification to demo- lition and re- erection of the building.
A state of		travention of section 184 of the Act.	
- 1	2	3	4
ania.			

Yours si	ncerely,
Executive	Officer,
Cantonment	Board,

Office of the Cantonment

....

Board.

Dated

(Seal of the Board)

515

FORM NO. 37

Notice under sub-section (2) of section 185 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924).

To,

Sir Madam.

Whereas the Officer Commanding-in-Chief, the Command has by his order No.dated ...

..... suspended the order of the Board issued under section 181 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), under which the Board has sanctioned the *erection *re-erection of the building, specified in the Schedule below (hereinafter referred to as the said building) ;

And whereas it is necessary to stop the said erection re-erection of the said building ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 185 of the Canton-ments Act, 1924 (2 of 1924), I, as the Executive Officer of the Cantonment Board, hereby give you notice to stop the *erection|*re-erec-tion of the said *building|*demolish|alter|*re-erect the said building in the manner specified in column (4) of the said Schedule.

*stricke out whichever is not necessary.

SCHEDULE

F?me of the building.	Location of the building	Details of Construction undertaken by owner/ occupier/ lessee.	Manner in which the building should be demoli- shed/altered/ re-erected as per the modifications suggested by the Officer Comman- ding in-ohief, the Command.
1	2	3	4

Yours sincerely Executive Officer .. Cantonment Board, (Seal of the Board) Office of the Cantonment

No. Dated

Board.

NUT SALA hill

[PART 11-SEC. 4]

FORM NO. 38

Notice under section 187 of the Cantonments Act, 1924 (2 cf 1924)

To.

Sir Madam.

Whereas you have without the permission in writing from the Board has erected constructed the following structures in your buildings

(1)(2)

(3) (Here specify the structures of the building),(4)

Your sincerely. Executive Officer Cantonment Board. (Seal of the Board)

Office of the Cantonment Board.

No.

Dated

FORM NO. 39

Notice under section 188 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)

. To.

.....

......

Sir Madam,

(water course or water pipe line)

Yours sincerely, Executive Officer Cantonment Board (Seal of the Board)

Office of the Cantonment Board.

- dige

 Sir Madam,

To.

1924 (2 of 1924).

Whereas it is noticed that;---

.....

 (a) the troughs and pipes for receiving and car rying rain water from the building....... land.....owned occupide by you are not in good condition;

FORM NO. 40

Notice under section 189 of the Cantonment's Ac

1.

2.

3.

Yours sincerely, Executive OfficerCantonment Board. (Seal of the Board)

Office of the Cantonment

Board.

No.....

Date.....

Note : * Strike out the matter whichever is not necessary.

FORM NO. 41

Notice under sub-section (2) of section 194 of the Cantonment's Act, 1924 (2 of 1924).

To,

.....

.........

Sir Madam,

Whereas it is brought to the notice of the Board that,---

*(a) The boundary *wall hedge *fence in land

............*owned|occupied by you is *unsuitable|unsightly|objectionable;

 *(b) It is necessary to construct on the land*owned|occupied by you, the boundary *wall|*hedge|*fence of the material, description|dimensions specified below;

*(c) It is necessary to maintain the boundary *wall|hedge|*fence on the land..... *owned|occupied by you in good order;

Now, therefore in pursuance of sub-section (2) of section 194 of the Cantonments Act, 1924, I, as the Executive Officer of the......Cantonment Board hereby give you notice that,—

- *(a) The boundary wall hedge fence on the aforesaid land be removed,
- *(b) The boundary wall hedge fence of the material, description dimensions specified balow be constructed on the aforesaid land.

(Here give the specifications as to material, description or dimensions);

······

*(c) The boundary wall hedge fence on the

aforesaid land be maintained in good order, within......days of the receipt of this notice.

> Yours sincerely, Executive OfficerCantonment Board. (Seal of the Board)

Office of the Cantonment.

Board.

No.....

Date.....

Note : *Strike out the matter whichever is not necessary.

FORM NO. 42

Notice under sub-section (1) of section 195 of the (Cantonment's Act, 1924 (2 of 1924).

To,

.....

Sir Madam,

Whereas the Board is of the opinion that it is necessary fell|lop|trim the tree(s) standing of landowned|occupied by you on account of

in the second

(Here mention the reasons)¹⁰¹⁴ GI/86-5

> Yours sincerely, Executive OfficerCantonment Board. (Seal of the Board)

Office of the Cantonment Board

No.....

Date.....

FORM NO. 43

Notice under section 197 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924). To,

.....

.....

Sir|Madam,

Whereas in the opinion of the Board the working of a quarry|the removal of stone|earth|.....

(here specify the removal)

of other material from the soil)

at.....owned occupied by you is dangerous to the persons residing in frequenting the neighbourhood creates likely to create nuisance;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 197 of the Cantonments Act, 1924, I, as the Executive Officer of the......Cantonment Board, hereby give you notice that the following steps should be taken by you to prevent danger abating nuisance arising likely to arise at.....owned occupied by you :-----

(Herein specify the steps to be taken)

Yours sincerely, Executive Officer Cantonment Board. (Seal of the Board)

129

Office of the Cantonment Board.

.....Cantonment.

Date.....

517

FORM NO. 44

Votice under section 212 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924).

To,

Sir|Madam,

Now, therefore, in pursuance of section 212 of the Cantonments Act, 1924, I, as the Executive Officer of theCantonment Board, hereby give you notice that the use the aforesaid place should be discontinued w.e.f. theday of...... 19......to effect the following alterations additions improvements by theday of....... 19......, to render it free from any nuisance danger:

> (Herein give details of alterations, additions and improvements to be undertaken).

> > Yours sincerely, Executive Officer .Cantonment Board (Seal of the Board)

> > source of

Office of the Cantonment Board.

No.....

Date.....

FORM NO. 45

Notice under clause of section 219 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924).

To,

•••••

Sir Madam,

- depor

Whereas the.....

(Name of well etc.) public water supply which is used for drinking purposes inowned by you under your control is.....

- (a) not in good order not* cleared of silt refuse*
 *decaving vegetation;
- *(b) required to be protected from contamination in the manner specified below :---
- *(c) the water is ufit fr drinking purposes;

Now, therefore, in pursuance of section 219 of the Cantonments Act, 1924, I, as the Executive Officer of the.....Cantonment Board hereby give you notice:—

- *(a) to *keep the aforesaid well|*water Supply in good order|*clear it of silt|*refuse|*decaying vegetation
- * (b) *to protect the aforesaid well *water supply from contamination in the manner specified below :---

(Here specify the manner to be adopted to

prevent contamination)

*(c) that the public should be prevented from having access to using the water from the aforesaid well|water supply in the manner specified below :---

> Yours sincerely, Executive Officer Cantonment Board (Seal of the Board)

Office of the Cantonment

Board.

No.....

Date.....

Note : *Strike out the matter, whichever is not necessary.

FORM NO. 46

Notice under section 221 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924). To,

**** ******* **********

.....

Sir Madam,

Whereas it appears that the building|land......owned|occupied by you is without a proper supply of pure water;

Now, therefore, in pursuance of section 221 of the Cantonments Act. 1924, I. as the owner occupier of the.....Cantonment' Board hereby give you notice that the building land.....should be provided with communication pipes of the size and description specified below and for obtaining...... quantity of water from....

(Here specify the source of public water supply) water supply for the requirements of persons occupying the said building employed the said land :--- (Here specify the particulars as to size and descripon of the communication pipes).

> Yours sincerely, Executive OfficerCantonment Board.

(Seal of the Board)

Office of the Cantonment Board.

No.....

Date.....

FORM NO. 47

Notice under clause (a) of section 224 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924).

To,

The *.....Offifticer.

.....Cantonment Board

In pursuance of clause (a) of section 224 of the Cantonments Act, 1924, I, as the owner occupier of the land building....., hereby give you notice that due to pipes|drains being out of repair, there is wastage of water in|on the said land|building.

This may please be noted.

Yours sincerely.

Signature.... Name.....

Address.....

Place..... Date.....

Note : *Designation of the Officer.

FORM NO. 48

Notice under clasue (c) of section 224 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924). To.

*** * ******** * **************

Sir Madam,

Whereas, you have,---

- (a) negelected to pay the water tax † charges in respect of the land|building.....owned occupied by you and more than.... days period has elapsed since issue of bill to you :
- (b) refused to admit[prevented the undersigned] Board, to enter in the land|building examinationlinquiry as authorised under clause (b) of section 224 of the Cantonments Act, 1924;
- (c) willfully negligently misused caused waste of water in the land building. owned occupied by you;
- (d) willfully negligently injured damaged the meter pipeltap conveying water from the water works to the land building.....owned occupied by you;

- the

(e) the pipes, taps, fittings connected with the supply of water to the land/building...... owned occupied by you are out of repair and causing waste of water.

Note : †specify the nature of charges.

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of sec-tion 224 of the Cantonments Act, 1924, I, as the Executive Officer of the Cantonment Board, hereby give you notice that the water supply to the aforesaid land|building is being turned off|disconnected within.....days of receipt of this notice.

> Yours sincerely, Executive Officer (Seal of the Board)

Office of the Cantonment Board.

No.....

Date.....

FORM NO. 49

Notice under section 244 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924). To.

.....

Sir Madam,

Whereas the Board has undertaken the work specified in the Table below (hereafter referred to as the said work) and for that purpose, it is necessary for the officers, staff and the workmen executing the said work on behalf of the Board to enter* on VOUL land.....for the purpose of depositing thereon

(here specify the nature of*materials such as soil gravel etc.)

obtaining access to the said work

(Here specify any other purpose)

Now, therefore, in pursuance of section 244 of the Cantonments Act, 1924, I, as the Executive Officer of theCantonment Board hereby give you notice that the officers, staff and the workmen of the Board shall enter into your land for the purpose aforesaid on the.....

(Here specify the date not earlier than three days from the date of proposed entry.....

the aforesaid land owned occupied by you so as to enable the officers, staff and workmen of the Board to execute the said work.

> Yours sincerely. Executive Officer Cantonment Board. (Seal of the Board)

> > 1.12 MIT

Office of the Cantonment Board.

No..... Date

Note : *Strike out the matter whichever is not necessary.